न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–329 / 2013

अरविन्द कुमार साह.....वादी

बनाम

बिहार सरकार द्वारा राज कुमार पाल वगैरह.....प्रतिवादीगण

08.05.25 अभिलेख आज वादी की ओर से सुनवाई पश्चात् वादपत्र संशोधन हेतु आवेदन एवं प्रदर्श हेतु आवेदन दिनांक–17.02.2025 पर आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त आवेदन का कोई प्रत्युत्तर दाखिल नहीं है।

अपने संशोधन आवेदन में वादी ने निवेदन किया है कि वर्तमान वाद में भूलवश एवं दुष्टिचूक के कारण वादपत्र में कुछ विसंगतियॉ हुई हें तथा कुछ तथ्य लिगल नोटिस के संदर्भ में वादपत्र में टंकित होना छुट गया है जिस तथ्य के सम्मिलित होने से न्याय–निर्णयन होने में सहूलियत होगी। प्रस्तावित संशोधन औपचारिक प्रकृति का है जिससे वाद की प्रकृति वो वाद–विषय प्रभावित नहीं होगी और न ही प्रतिवादीगण का हित प्रभावित होगा, बल्कि वाद में निहित अन्तर्वलित प्रश्नों के अवधारण हेतु प्रस्तावित संशोधन अपेक्षित है। वाद भी वादी साक्ष्य हेतु लंबित है तथा प्रतिवादी की ओर से साक्षी सूचि एवं कागजात दाखिल नहीं हुआ है। प्रस्तावित संशोधन आवेदन के अंत में वर्णित है। अतः निवेदन है कि प्रस्तावित संशोधन के अनुरुप वादपत्र में संशोधन करने हेतु आदेश पारित करने की कृपा की जाए।

अपने दूसरे आवेदन में वादी ने मूल डाक रसीद दिनांक–15.06.2013 तथा समाहर्ता दरभंगा द्वारा भूमि अधिग्रहण हेतु निर्गत मूल नोटिस दिनांक–10.06.1969 बनाम मौजे लाल साह को प्रदर्श करने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्षों को सुना अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद वादी साक्ष्य हेतु लंबित है तथा उपरोक्त संशोधन वादी द्वारा वादपत्र में भूलवश एवं दुष्टिचूक के कारण वादपत्र में कुछ विसंगतियॉ हुई हें तथा कुछ तथ्य लिगल नोटिस के संदर्भ में वादपत्र में टंकित होना छुट जाने के कारण अपने वादपत्र में संशोधन चाहते हैं जो औपचारिक प्रकृति का प्रतीत होता है तथा हकियत वाद में वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन की दृष्टि से तथा उभय पक्षों के मध्य विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण हेतु आवश्यक प्रतीत होता है। वादी का आवेदन शपथ–पत्र से सम्पुष्ट है तथा चूँकि अभिलेख वादी साक्ष्य हेतु लंबित है। तद्नुसार वादी का उपरोक्त संशोधन आवेदन मो0 1000/– खर्च के साथ स्वीकृत किया जाता है तथा वाद का प्रदर्श हेतु दाखिल आवेदन में, चूँकि मूल कागजातों को प्रदर्श करने का निवेदन किया गया है जो मूल कागजात होने के कारण उसे अभिरक्षा साबित होना अनिवार्य है जिस कारण आवेदन पोषणीय प्रतीत नहीं होता है और वादी का प्रदर्श आवेदन न्यायहित में निष्पादित किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि आदेश की तिथि से 14 दिनों के भीतर अपना प्रस्तावित संशोधन वादपत्र में दर्ज करते हुए अपना साक्ष्य अविलंब प्रस्तुत करें।

वाद दिनांक– 24-07-2025 वास्ते करने संशोधन वादपत्र में एवं वादी साक्ष्य हेतु।

अवर न्यायाधीश,

शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।